

INDIA NON JUDICIAL
Government of Uttar Pradesh




IN-UP53527287738062W

e-Stamp



Certificate No. : IN-UP53527287738062W
Certificate Issued Date : 17-May-2024 11:19 AM
Account Reference : NEWIMPACC (SV)/ up14006204/ GREATER NOIDA/ UP-GBN
Unique Doc. Reference : SUBIN-UPUP1400620403373345704266W
Purchased by : GYAN JYOTI EDUCATION TRUST
Description of Document : Article 64 (A) Trust - Declaration of
Property Description : Not Applicable
Consideration Price (Rs.) :
First Party : GYAN JYOTI EDUCATION TRUST
Second Party : Not Applicable
Stamp Duty Paid By : GYAN JYOTI EDUCATION TRUST
Stamp Duty Amount(Rs.) : 750
(Seven Hundred And Fifty only)

CERTIFICATE LOCKED



Please write or type below this line

Signature



RD 0026358379

1. The e-stamp certificate should be verified at www.shofac.com or by the Stamp Mobile App at black boards.
2. For details on this Certificate and its usage on the website / Mobile App, please refer to the instructions provided.
3. For any queries, please contact the Competent Authority.

-2-

ट्रस्ट का घोषणा पत्र

स्टाम्प - 750 / रु०


GAURAV KUMAR SHARMA
UP-D 07082/2011 Advocate
Ch. No. 151 & 156 District Court
Surajpur Gr. Noida, G.B. Nagar
Mobile No:-9990084234

इस ट्रस्ट की घोषणा श्री राम निवास पुत्र श्री सेवा राम निवासी ग्राम बिरौंड़ी चक्रसेनपुर तहसील सदर जिला गौतमबुद्धनगर (आधार कार्ड नं० 3517 9729 5828) जो कि ट्रस्ट के संस्थापक हैं द्वारा आज दिनांक 17 मई 2024 को घोषित किया गया, श्री राम निवास जिन्होंने जन-जन में शिक्षा के प्रचार प्रसार को अपने जीवन का लक्ष्य कायम कर इस हेतु शिक्षण संस्थाओं की स्थापना, प्राथमिक व माध्यमिक, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, विधिक शिक्षा व चिकित्सा शिक्षा व प्रबंधन शिक्षा आदि को बढ़ावा देने हेतु नवयुवकों व नवयुवतियों के प्रशिक्षण व शोध करने हेतु उन्होंने प्रयास किये हैं और उनके परिवार की भी रुचि इस नेक व जनकल्याणकारी कार्य में है, जिसे मूल रूप प्रदान करने हेतु एक न्यास की स्थापना उनके द्वारा निम्नलिखित रूप में की जा रही है। लिहाजा यह ट्रस्ट डीड बखुशी राजी खूब सोच समझकर लिख दिया कि सनद रहे और समय पर काम आवे ।

प्रारम्भ में ट्रस्ट की स्थापना ट्रस्ट के उपरोक्त संस्थापक ने ट्रस्ट की नगद धनराशि रूपये 11,000/- रु० (ग्यारह हजार रूपये) दान में आज प्रदान कर दी गयी है ।

1 ट्रस्ट का विवरण:-

1. नाम : ज्ञान ज्योति एजुकेशन ट्रस्ट ग्राम बिरौंड़ी चक्रसेनपुर तहसील सदर जिला गौतमबुद्धनगर।
2. ट्रस्ट का पंजीकृत मुख्य कार्यालय :




ANBA
UN
GIRI AND SONS
SOUTH
SOUTH
SOUTH



ಮಾನ್ಯ

ಶ್ರೀ 2

ग्राम बिरौंड़ी चक्रसेनपुर तहसील सदर जिला गौतमबुद्धनगर में कायम किया गया है व रहेगा तथा भविष्य में यदि ट्रस्ट अपना कार्यालय अन्य स्थान पर स्थानान्तरित करना चाहे तो कर सकता है तथा राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय शाखायें खोलने के लिये भी स्वतन्त्र होगा ।

2 ट्रस्ट के अन्य ट्रस्टी :

1. श्री राम निवास पुत्र श्री सेवा राम निवासी ग्राम बिरौंड़ी चक्रसेनपुर तहसील सदर जिला गौतमबुद्धनगर।
2. श्री निवास पुत्र श्री सेवा राम निवासी ग्राम बिरौंड़ी चक्रसेनपुर तहसील सदर जिला गौतमबुद्धनगर।
3. श्री मनोज कुमार पुत्र श्री सेवा राम निवासी ग्राम बिरौंड़ी चक्रसेनपुर तहसील सदर जिला गौतमबुद्धनगर
4. श्री पुनीत मावी पुत्र स्व० श्री संजय मावी निवासी ग्राम बिरौंड़ी चक्रसेनपुर तहसील सदर जिला गौतमबुद्धनगर
5. श्रीमती निशि पत्नी श्री राम निवास निवासी ग्राम बिरौंड़ी चक्रसेनपुर तहसील सदर जिला गौतमबुद्धनगर



आवेदन सं०: 202400743036368

न्यास पत्र

बही सं०: 4

रजिस्ट्रेशन सं०: 566

वर्ष: 2024

प्रतिफल- 11000 स्टाम्प शुल्क- 750 बाजारी मूल्य - 0 पंजीकरण शुल्क - 110 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 80 योग : 190

श्री राम निवास ,
पुत्र श्री सेवा राम
व्यवसाय : अन्य
निवासी: ग्राम बिरौंडी चक्रसैनपुर, जिला गौतमबुद्धनगर।



ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 17/05/2024 एवं 12:42:43 PM बजे
निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

प्रेम प्रकाश सिंह

उप निबंधक :सदर ग्रेटर नोएडा

गौतम बुद्ध नगर

17/05/2024

के० के० शर्मा

निबंधक लिपिक

17/05/2024

प्रिंट करें



ट्रस्ट के उददेश्य :

ट्रस्ट निम्नलिखित उददेश्यों की पूर्ति हेतु कार्य करेगा :-

1. प्राथमिक माध्यमिक व उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा (इंजिनियरिंग आदि) कम्प्यूटर शिक्षा (बी०सी०ए०, एम०सी०ए०, आदि) प्रबंधन शिक्षा (एम०बी०ए० आदि) चिकित्सा शिक्षा (मैडिकल, डेन्टल, नर्सिंग, आयुर्वेदिक, फार्मसी, पैरामैडिकल आदि) फाईन आर्ट्स, रिसर्च सेंटर, वॉकेशनल कॉर्सेस, विधिक शिक्षा, कृषि शिक्षा, शोध शिक्षा, बी०एड० एम०एड० आदि शिक्षण संस्थानों की स्थापना व विभिन्न शिक्षा क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के शिक्षण संस्थानों की स्थापना करना, रख रखाव करना, संचालन करना आदि ।
2. स्वास्थ्य रक्षा हेतु अस्पताल, नर्सिंग होम, चल चिकित्सालय तथा दवा वितरण आदि करना एवं जनहित में स्वास्थ्य शिविर व जनकल्याणकारी कार्य करना व उनका संचालन करना ।
3. उपरोक्त उददेश्यों की पूर्ति हेतु जमीन, भूमि का क्रय करना, लीज व किराये पर लेना, अभिग्रहित करना और उस पर निर्माण करना ।
4. उपरोक्त संस्थानों की स्थापना हेतु आवश्यक उपकरण सामग्री संयन्त्र अथवा अन्य पेरीफेरल्स इत्यादि को क्रय करना तथा स्थापित करना ।
5. जनहित में पुस्तकालय एवं वाचनालयों की स्थापना तथा पत्र-पत्रिकाओं का प्रकाशन तथा आध्यात्मिक केन्द्रों का संचालन करना ।
6. छात्र-छात्राओं के लिये छात्रावास/बोर्डिंग हाउस को स्थापित करना तथा संचालित करना ।





बही सं०: 4

रजिस्ट्रेशन सं०: 566

वर्ष: 2024

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमून व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त
न्यासी: 1

श्री राम निवास, पुत्र श्री सेवा राम

निवासी: ग्राम बिरौंडी चक्रसैनपुर, जिला गौतमबुद्धनगर।

व्यवसाय: अन्य



ने निष्पादन स्वीकार किया। जिनकी पहचान

पहचानकर्ता : 1

श्री सतवीर सिंह, पुत्र श्री बलजीत सिंह

निवासी: ग्राम नवादा, जिला गौतमबुद्धनगर।

व्यवसाय: अन्य



पहचानकर्ता : 2

श्री यतेन्द्र कुमार, पुत्र श्री घनश्याम चरन

निवासी: ग्राम बिरौंडी चक्रसैनपुर, जिला गौतमबुद्धनगर।

व्यवसाय: अन्य



रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

प्रेम प्रकाश सिंह

उप निबंधक : सदर ग्रेटर नोएडा

गौतम बुद्ध नगर

17/05/2024

के० के० शर्मा

निबंधक लिपिक गौतम बुद्ध नगर

17/05/2024

ने की। प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार
लिए गए हैं।

टिप्पणी :



7. सार्वजनिक हित में बालक – बालिकाओं, युवक-युवतियों के सर्वोन्मुखी विकास हेतु सेमिनार, प्रशिक्षण शिविर संगोष्ठी आदि का आयोजन करना ।
8. सरकारी अर्द्धसरकारी व निजी संस्थानों तथा व्यक्ति विशेष से सहायता प्राप्त करना तथा बैंक और वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करना व उपरोक्त उद्देश्यों के लिये संस्थान की सम्पत्ति को गिरवी रखना अथवा प्लेज करना ।
9. ट्रस्ट के संचालन हेतु दान आदि के अलावा अनाथ आश्रमों, वृद्धाश्रमों, धर्मशालाओं व लघु उद्योगों विशेष कर महिला उद्योगों की स्थापना करना व उनका संचालन करना ।
10. शिक्षा प्रदान कर प्रदूषण रहित एवं भ्रष्टाचार रहित सौहार्दपूर्ण समाज की स्थापना करना ।
11. ट्रस्ट के उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु एवं सुचारू रूप से संचालन हेतु अन्य कोई भी कार्य करना ।
12. समान उद्देश्यों वाली संस्थाओं से सहायता का आदान- प्रदान करना व उनको समाहित करना ।
13. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु अचल सम्पत्तियों को क्रय करना, पट्टे पर प्राप्त करना एवं किराये पर प्राप्त करना ।
14. ट्रस्टीज की सहमति से ट्रस्ट से सम्बन्धित सम्पत्तियों को विक्रय करना, लीज पर देना, किराये पर देना आदि ।
15. मानव कल्याण एवं जनहित हेतु अन्य लोकोपयोगी कार्य करना ।



16. पर्यावरण संरक्षण, विकलांग कल्याण, दलितोत्थान व निर्धन लोगो के उत्थान के लिये कार्य करना।

पदाधिकारियों का चयन:

ट्रस्ट के संस्थापक ट्रस्टी श्री राम निवास पुत्र श्री सेवा राम अपनी इच्छा से पदाधिकारियों का चयन ट्रस्टियों में से अथवा अपने सगे संबंधियों में से ही करेंगे।


पदाधिकारियों को अधिकार एवं कर्तव्य :

अध्यक्ष:

1. प्रबन्धकारिणी समिति के अध्यक्ष को समिति की बैठक में अध्यक्षता करने का अधिकार होगा।
2. समिति के निर्णयों में किसी विषय पर सम्मति के समान हो जानें पर एक अधिकार मत देकर निर्णय करना।
3. ट्रस्ट के कार्यों का निरीक्षण करना तथा ट्रस्ट के नियमों का सुचारु रूप से पालन करने की व्यवस्था करना।
4. ट्रस्ट की सम्पत्तियों तथा कोषों की देखभाल करना।

उपाध्यक्ष:

1. अध्यक्ष के कार्य में सहायता प्रदान करना।



2. अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष के कार्य सम्पादित करना ।

प्रबन्धक/सचिव:

1. ट्रस्ट के कार्यों का संचालन करना ।
2. ट्रस्ट द्वारा संचालित विद्यालयों आदि के कर्मचारी/अधिकारियों की नियुक्ति, पृथक करना, त्याग पत्र, ग्रेड, वेतन वृद्धि इत्यादि की स्वीकृति हेतु समिति में प्रस्ताव प्रस्तुत करना ।
3. विगत वर्ष के वित्तीय खातों तथा आगामी वर्ष के बजट को स्वीकृत कराने के लिये समिति की बैठक में प्रस्तुत करना ।
4. समिति द्वारा अनुमोदित व्ययों की उचित रूप से व्यय करने की व्यवस्था करना ।
5. ट्रस्ट की ओर से आवश्यक पत्र व्यवहार अपने निरीक्षण में तथा अपने हस्ताक्षरों से करना तथा संस्था की ओर से सभी प्रकार की अदालती कार्यवाही अथवा नालिश कराना, बयान तहरीर आदि दाखिल करना आदि ।
6. आवश्यकतानुसार समय-समय पर ट्रस्ट द्वारा संचालित विद्यालयों की उन्नति के लिये अध्यापकों, छात्रों, अभिभावकों अन्य शिक्षण संस्थाओं के अधिकारियों व अन्य जन अधिकारियों से सम्पर्क स्थापित करना ।
7. ट्रस्ट के कार्यों से सम्बन्धित प्रपत्रों पर हस्ताक्षर करना ।
8. बाह्य व्यक्तियों से ट्रस्ट के लिये कोई अनुबन्ध अथवा कोई कार्य करने की दशा में ट्रस्ट का प्रतिनिधित्व करना ।



कोषाध्यक्ष:

1. ट्रस्ट के कोषों की उचित देखभाल करना तथा ट्रस्ट के वित्तीय खातों को तैयार करवाने का कार्य कोषाध्यक्ष द्वारा ही किया जायेगा ।
2. ट्रस्ट के कोष को बैठक अथवा बैंक या अन्य लाभकारी स्थानों पर निवेश कराना तथा अपने निरीक्षण में हिसाब की व्यवस्था करना ।
3. ट्रस्ट के कार्यों की मासिक प्रगति व आय-व्यय के वितरण से समिति को परिचित कराना एवं उसकी स्वीकृति प्राप्त करना ।
4. ट्रस्टीज की सहमति से चन्दा, अनुदान आदि प्राप्त करना तथा उसका हिसाब रखना ।

उपप्रबन्धक/सहसचिव:

1. सहसचिव का कार्य सचिव की अनुपस्थिति में उसके समस्त कार्य करना ।
2. प्रबन्धकारिणी समिति के सभी सदस्यों के मध्य समन्वय स्थापित करना ।

कार्यकारिणी सदस्य :

1. कार्यकारिणी समिति की बैठकों में भाग लेना, अपनी राय देना, मतदान करना तथा अध्यक्ष द्वारा सौंपे गये कार्यों को करना ।



प्रबन्ध कारिणी समिति:

1. ट्रस्टियों की अधिकतम संख्या 11 से अधिक नहीं हो सकती है। यह ट्रस्ट मण्डल कहलायेगा। जो कि प्रबन्ध कार्य कारिणी समिति के नाम से जानी जायेगी।
2. ट्रस्टियों द्वारा आगामी बैठकों में कार्य समिति बनाने का दायित्व होगा।
3. यह कि ट्रस्ट के पदाधिकारियों उपाध्यक्ष सचिव व कोषाध्यक्ष व सहसचिव होंगे जिनका कार्यकाल 10 साल का होगा। जिनकी नियुक्ति बहुमत राय से की जायवेगी। ट्रस्ट के संस्थापक श्री राम निवास पुत्र श्री सेवा राम आजीवन ही रहेंगे बाद में इनके वारिसान ट्रस्ट/संस्थापक होंगे।

बैठक ट्रस्ट, सूचना एवं गणपूर्ति :

1. ट्रस्ट की सामान्य बैठक प्रतिवर्ष कम से कम एक बार होगी इस सामान्य बैठक के लिये 15 दिन का नोटिस अध्यक्ष या सचिव द्वारा दिया जायेगा जिसमें विशेष बैठक 24 घण्टे के नोटिस पर कभी भी बुलाई जा सकती है।
2. ट्रस्ट के बैठक एवं उनका संचालन व्यवस्था में नियम बनाना, उसमें परिवर्तन व संशोधन एवं अधिकार व कर्तव्यों आदि के सम्बन्ध में 2/3 के सदस्यों के द्वारा होगा एवं प्रत्येक कार्यवाही 2/3 से ही पूर्ण समझी जायेगी।
3. गणपूर्ति के लिये कुल सदस्यों की संख्या 1/3 सदस्यों की उपस्थिति कोरम होगी।



कार्यकारिणी समिति के सदस्यों की सदस्यता समाप्ति :

1. यह कि किसी भी ट्रस्टी के पागल हो जानें, दिवालिया हो जानें, मृत्यु हो जानें, त्याग पत्र देने की स्थिति में, ट्रस्ट की लगातार चार बैठकों में अनुपस्थित रहने अथवा ट्रस्ट के उद्देश्यों के विरुद्ध कार्य करने पर उस ट्रस्टी को बहुमत राय से निष्कासित किया जा सकेगा।

10 रिक्त स्थान की पूर्ति :

1. यदि समिति के किसी सदस्य का स्थान उपरोक्त किसी कारण से रिक्त हो जाता है तो समिति के सदस्यों द्वारा बहुमत के आधार पर उस रिक्त स्थान की पूर्ति उपरोक्त ट्रस्टीज के परिवार के सदस्यों से अथवा सगे संबंधियों से आगामी नई नियुक्ति संस्थापक के द्वारा कर ली जायेगी एवं इस नियुक्ति की पुष्टि बैठक में कराना अनिवार्य होगा।

11 ट्रस्ट का वित्तीय वर्ष :

1. ट्रस्ट का वित्तीय वर्ष प्रत्येक वर्ष की 1 अप्रैल से आगामी वर्ष की 31 मार्च तक चलेगा। ट्रस्ट सुचारु संचालन हेतु नियम उपनियम बनाना एवं विभिन्न समितियों का गठन करना। ट्रस्ट का कार्य वर्ष वित्तीय वर्ष के अनुसार रहेगा।





12 ट्रस्ट के बैंक खाते :

1. ट्रस्ट के बैंक खाते किसी राष्ट्रीयकृत बैंक तथा शेडयूल्ड बैंक में ही खुलेंगे। ट्रस्ट के बैंक खाते का संचालन अध्यक्ष के हस्ताक्षर से ही होगा ।

13 लेखा परीक्षण :

1. ट्रस्ट का लेखा परीक्षण किसी लेखा जानकार द्वारा प्रतिवर्ष सत्र समाप्ति पर (यानि कि एक अप्रैल से 31 मार्च) कराया जायेगा ।

14 पदाधिकारियों के अतिरिक्त अधिकार :

1. ट्रस्ट के लिसे किसी भी धन या अचल सम्पत्ति को अर्जित के सामान्य करना उसको संभाल कर ट्रस्ट को सौंपना । इसी प्रकार ट्रस्ट की सम्पत्तियों का उचित रख-रखाव संरक्षण करना ।
2. यह कि ट्रस्ट के उददेश्यों की पूर्ति के लिये ट्रस्ट की किसी भी सम्पत्ति को ट्रस्ट के ट्रस्टियों द्वारा उचित रूप से अन्तरण करना ।
3. ट्रस्ट के विभिन्न स्त्रोत्रों से विभिन्न व्यक्तियों व संस्थाओं सरकारी, गैरसरकारी से सहयोग लेना चल अचल सम्पत्ति की भेंट व दान प्राप्त करना ।
4. इस ट्रस्ट के उददेश्यों के लिये किसी एक या अनेकों संस्थाओं से सम्बन्ध स्थापित करना ।

RAHUS



5. ट्रस्ट के विभिन्न अधिकारियों सेवकों आदि की नियुक्ति करना, नियुक्तियों के सम्बन्ध में सेवा शर्तों आदि को तय करना ।

15 ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु धन व सम्पत्ति :

1. भविष्य में ट्रस्टियों द्वारा दान में दी गई मिलिक्यत, चल अचल सम्पत्ति धनराशि जैसा भी हो ट्रस्ट में निहित होगी ।
2. ऐसी मिलिक्यत, चल अचल सम्पत्ति, धनराशि जो ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये किसी भी व्यक्ति अथवा संस्था द्वारा ट्रस्ट को दान में दी जायवेगी वह ट्रस्ट की सम्पत्ति होगी ।
3. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु जो भी चल अचल सम्पत्ति व भेंट सहायता धनराशि प्रकट या मुफ्त या अनामरूप से ट्रस्ट को प्राप्त होगी वह ट्रस्ट को प्राप्त होगी। वह ट्रस्ट की सम्पत्ति होगी ।
4. ट्रस्ट की सभी प्रकार की सम्पत्तियों व अधिकारों से जो भी आय होगी वह ट्रस्ट में निहित होगी ।
5. न्यास के किसी भी सदस्य को ट्रस्ट के उद्देश्यों के विपरीत कार्य करने पर या ट्रस्ट के कार्यों में रुचि न लेने पर उसकी बैठक में भाग न लेने पर बहुमत राय से निष्कासित किया जा सकेगा ।

ज्ञान ज्योति एजुकेशन ट्रस्ट निवासी ग्राम बिरौंडी चकसेनपुर तहसील सदर जिला गौतमबुद्धनगर
ट्रस्ट के पदाधिकारियों की सूची:



1 अध्यक्ष :

श्री राम निवास पुत्र श्री सेवा राम निवासी ग्राम बिरौंड़ी चक्रसेनपुर तहसील सदर जिला गौतमबुद्धनगर।

2 प्रबन्धक/सचिव :

श्री मनोज कुमार पुत्र श्री सेवा राम निवासी ग्राम बिरौंड़ी चक्रसेनपुर तहसील सदर जिला गौतमबुद्धनगर।

3 उपाध्यक्ष:

श्री निवास पुत्र श्री सेवा राम निवासी ग्राम बिरौंड़ी चक्रसेनपुर तहसील सदर जिला गौतमबुद्धनगर।

4 उपप्रबन्धक/सहसचिव :

श्री पुनीत मावी पुत्र स्व० श्री संजय मावी निवासी ग्राम बिरौंड़ी चक्रसेनपुर तहसील सदर जिला गौतमबुद्धनगर

5 कोषाध्यक्ष:

श्रीमती निशि पत्नी श्री राम निवास निवासी ग्राम बिरौंड़ी चक्रसेनपुर तहसील सदर जिला गौतमबुद्धनगर।




कानूनी कार्यवाही:

ट्रस्ट के द्वारा अथवा ट्रस्ट के ऊपर कोई भी वैधानिक कानूनी कार्यवाही अध्यक्ष/प्रबन्धक /सचिव के नाम से न्यायालय जिला गौतमबुद्धनगर में ही सम्पन्न होगी, अन्यत्र कहीं पर भी मान्य नहीं होगी ।

17. यह कि अध्यक्ष किसी भी समय ट्रस्टियों की सहमति से इस ट्रस्ट को भंग कर सकते हैं। यदि किसी दशा में ट्रस्टि उनके द्वारा ट्रस्ट भंग की कार्यवाही से सहमत नहीं होते हैं उस दशा में भी अध्यक्ष को ट्रस्ट भंग करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त होगा ।


अतः यह ट्रस्ट का घोषणा पत्र हमने अपने स्वस्थ चित्त एवं खूब सोच समझकर ट्रस्ट के संस्थापक द्वारा लिख दिया गया है कि सनद रहे और समय पर काम आवे इति ।

गवाह - 1



श्री सतवीर सिंह पुत्र श्री बलजीत सिंह निवासी ग्राम नवादा जिला गौतमबुद्धनगर।


गवाह - 2



श्री यतेन्द्र कुमार पुत्र श्री घनश्याम चरन निवासी ग्राम बिरौंडी चकसेनपुर तहसील सदर जिला गौतमबुद्धनगर।

दिनांक- 17/05/2024 मसौदाकर्ता- गौरव कुमार शर्मा एडवाकेट जिला गौतमबुद्धनगर।

GAURAV KUMAR SHARMA
UP-D 07082/2011 Advocate
Ch. No. 151& 155 District Court
Surajpur Gr. Noida, G.B. Nagar
Mobile No.-9990084234





आवेदन सं०: 202400743036368

बही संख्या 4 जिल्द संख्या 1081 के पृष्ठ 151 से 178 तक क्रमांक
566 पर दिनांक 17/05/2024 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

प्रेम प्रकाश सिंह

उप निबंधक : सदर ग्रेटर नोएडा

गौतम बुद्ध नगर

17/05/2024

प्रिंट करें

